कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444
पत्रांक- 1893 / 12-1, कोटबंगला दिनांक 3 / 12/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्राप्ति 1923/ वनभूमि
दिनांक - 08/12/2020

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत सिलक्यारा शिवगुफा से मंजगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 1.31 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/26799/2017 ।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून–248001 के पत्र सं0–08बी0/यू0सी0पी0 /06/139/2018/एफ0सी0/2666 दिनांक 20.02.2020 तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी का पत्रांक–3107/वन भूमि दिनांक 03.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत परियोजना पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय में प्रेषित की गई है। उक्त अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं0	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
	प्रतिपूरक वनीकरण :	
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.62 हे0 गैर वानिकी भूमि/वनाच्छादित वन भूमि ग्राम वॉण खसरा संख्या–1762 प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया- जाना आवश्यक है।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 8,83,422/– मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896126799059 Corporation bank lodhi complex, branch, block 11, CGO complex, phase-I lodhi road new delhi-110003 में जमा कर दी गई है (संलग्न–29)। (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में 2.62 हे0 सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश सं0–R–49/पी0ओ0–2013 दिनॉक 08.01.2013 द्वारा चयनित स्थान ग्राम वाण खसरा संख्या–1762 कुल रकवा 2.80 हे0 में से 2.62 हे0 सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है (संलग्न–1,2 एवं 3)।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा, इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के W(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/199(pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.09.2009 के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 हेतु रू0 8,60,670/– की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाते संख्या–150896126799059 Corporation Bank Lodhi Complex, Branch, Block 11, CGO Complex, phase-I Lodhi Road New Delhi-110003 के खाते में जमा कर दी गई है (संलग्न–29)।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त यदि कोई अतिरिक्त धनराशि देय होगी, तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र/शपथपत्र दिया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है (संलग्न–26)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 42 होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम पेड़ों की कटाई करेगा, जिनकी संख्या–42 है, जिन्हे राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में काटा जायेगा। राज्य वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार कटाई की लागत भुगतान कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रू0 17,44,092/– मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896126799059 Corporation bank lodhi complex, branch, block 11, CGO complex, phase-I lodhi road new delhi-110003 के खाते में जमा कर दी गई है (संलग्न–29)।
8	एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन हेतु एफ.आर.ए. 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) प्रेषित है (संलग्न – 5 से 25 तक)।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच–पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

12	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या–11–42/ 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

पत्रांक– / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

लय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
भाष रोड, देहरादून–248001
रभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in.

CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/139/2018/एफ0सी0/2666 दिनांक: 20/02/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय-: जनपद – उत्तरकाशी के अंतर्गत सिलक्यारा शिव गुफा से मंजगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.31 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1257/x-4-18/1(197)/2018 दिनांक 21.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/26799/2017 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक .02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – उत्तरकाशी के अंतर्गत सिलक्यारा शिव गुफा से मंजगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.31 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.62 हे0 गैर वानिकी भूमि / वनाच्छादित वन भूमि ग्राम वॉण खसरा सं0 1762 प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक

Scanned with CamScanner

के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूला करेगी।

(xi) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुस 42 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पा पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8 एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

10 संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति नियंत्रण साइनेज लगाए जाएंगे।

11. डब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र /वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

13 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन से किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

19 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20 केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्कर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

22 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

23 अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(रानी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

(रानी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 637 / 12-1, कोटबंगला दिनांक 11 /[illegible]/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सिलक्यारा शिवगुफा से मंजगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.31 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/26799/2017)

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक– 8बी0/यू0सी0पी0/06/139/2018/एफ0सी0/2666 दिनांक 20.02.2020 तथा नोड़ल कार्यालय देहरादून का पत्रांक– 2241/FP/UK/ROAD/26799/2017 दिनांक 27.02.2020।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना की निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लिखित शर्त सं0–3 व 4 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–972/3–5–2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित धनराशि तथा शर्त सं0–5 के अनुसार एन0पी0वी0 के निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि का चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तो की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु।	2.62 हे0	3,37,184.00 प्रति हे0	8,83,422.00
2	एन0पी0वी0	1.31 हे0	घनत्व–0.2 दर– 6,57000.00	8,60,670.00

इसके अतिरिक्त शर्त सं0–16 के अनुसार वन भूमि के सीमांकन हेतु संलग्न प्राक्कलन में निर्धारित मूल्य रू0 2,81,000.00 की धनराशि का इस वन प्रभाग के नाम चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

17/8/2020

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-10-2020

Agency Name.	**EXECUTIVE ENGINEER PD PWD UTTARKASHI**
Application No.	**6126799059**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/139/2018/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**PD PWD UTTARKASHI NEAR VISWANATH CHOWKUttarkashi**
Amount(in Rs)	**1744092/-**

Amount in Words :Seventeen Lakh Forty-Four Thousand and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**N/A**
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**N/A**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-10-2020

Agency Name.	**EXECUTIVE ENGINEER PD PWD UTTARKASHI**
Application No.	**6126799059**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/139/2018/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address:	**PD PWD UTTARKASHI NEAR VISWANATH CHOWK Uttarkashi**
Amount(in Rs)	**1744092/-**

Amount in Words :Seventeen Lakh Forty-Four Thousand and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**N/A**
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**N/A**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com**

कार्य का नाम :– जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी0) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 1.310 है0।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या– 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाली 1.310 है0 वन भूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 2.620 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम वाण खसरा नं0 1762 कुल रकबा 2.80 मे से 2.62 है0 सिविल सोयम वनभूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त एवं उपलब्ध है।

पटवारी
खुरमोला 25-5-017
उत्तरकाशी।

तहसीलदार
तहसील डुण्डा
उत्तरकाशी।

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि,

उप प्रभागीय
वनाधिकारी

उप जिलाधिकारी
तहसील डुण्डा
उत्तरकाशी।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
प्रा. ख., लो. नि. वि
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010दिनांक 17-12-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें सन्दर्भित शासनादेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्नातरण के मामलों में जनपदों द्वारा चिह्नित/प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किया गया है।

शासनादेश संख्या 881 XVII(2)/2009 दिनांक 01-04-2009 के द्वारा जनपद से प्रस्तावित 757.226हे0 भूमि के सापेक्ष 537.868 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित की गयी है तथा अवशेष 219.358हे0 भूमि प्रस्तावित है । वर्तमान में तहसील डुण्डा से 267.181हे0 भूमि तथा तहसील बडकोट से 43.399 हे0 कुल 310.580हे0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है। उपरोक्त शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/ 2010 दिनांक 17-12-2012 के अनुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358हे0 भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580हे0 भूमि कुल 529.938हे0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरित की जा सकती है ।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358हे0 भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580हे0 भूमि कुल 529.938हे0 भूमि को उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण करने का अनुमोदन दिया जाता है ।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्याः R-49/पी0ओ0-2013 दिनांक जनवरी, 03 2013।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी ।
3- संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
4- संबंधित विभागीय अधिकारी, उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

ख०ग्र० 9 · खातों के नम्बर की ~~भूमि~~ योग भूमि –

1	2	3	4	5	6	7	8
5-	उत्तराखण्ड सरकार		1	0.035			
	वर्ग 9(3)5 x		2	0.004			
			6	0.011			
			8	0.011			
			x	x			
			x	x			
			~~12~~	5x			
			1753	0.073			
			1762	3.147			
			1763	0.033			
			x	x			
			x	x			
			1798	0.008			
			346	0.023			
			1808				
	खातों का योग –		321	19.084			

1	2	3	4	5	6	7	8
	जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं० 49/पी०ओ० 2013 दिनांक 8 जनवरी 2013 के क्रम में ग्राम बोना की NONZA खतौनी के खसरा सं० 1762 में 2.800 हे० भूमि जीव प्रजनन व्यावसायिक हेतु ... विभाग के नाम हस्तान्तरण नामान्तरित किया गया है।						
	हस्ताक्षर अस्पष्ट रा० उ० नि० डुण्डा						

C.S.

[signature]

तहसीलदार
डुण्डा

जनक प्रसाद के तोमा किया

[signature]
रा० उ० नि०
डुण्डा
25-5-017